सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
फैजाबाद मण्डल ,फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
वी0 एस0 एस0 एजुकेशनल एकाडमी
बरवा बैरमपुर, फैजाबाद रोड अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

पत्रांक: शि0स0/ 5560-70 /2007-08 दिनांक- 03 जुलाई 2007

विषय: अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कक्षा 06 से 08 तक की अस्थाई मान्यता 'ब' श्रेणी प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्र, निरीक्षण आख्या एंव अन्य आवश्यक पत्रजातों पर शासनादेश संख्या 646/15-8-97-18 एस (7)/89 दिनांक 13 अगस्त, 1997 में उल्लिखित प्राविधानों/शर्तों के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सस्तुति एंव मण्डलीय सम्भागीय मान्यता समिति के निर्णय/संस्तुति पर निम्नाकित प्रतिबन्धों के साथ सोसाईटी विनय सुषमा सुनील एजूकेशनल एकेडमी समिति ग्राम बरवा बैरमपुर पो0 व तह0 अकबरपुर फैजाबाद रोड निकट जल निगम आंफिस पेट्रोल पम्प जिला-अम्बेडकरनगर संस्था द्वारा संचालित आपके विद्यालय **वी0 एस0 एस0 एजुकेशनल एकाडमी बरवा बैरमपुर, फैजाबाद रोड अकबरपुर,अम्बेडकरनगर को** अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल स्तर की)कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता (वित्त विहीन 'ब' श्रेणी) उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

विद्यालय में कुल तीन वर्ग ही मान्य होगें। अतिरिक्त उपवर्गो को संचालित करने हेतु नियमानुसार अनुमति विभाग सें प्राप्त करनी होगी। विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित कुल पांच प्रशिक्षित एंव निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त शिक्षक/शिक्षिका, एक लिपिक तथा एक अनुचर वर्तमान मानक के अनुसार मान्य होगे।

विभागीय आदेशो/निर्देशो की अवहेलना करने एंव तथ्यो को छिपाकर प्राप्त की गयी मान्यता को वापस लेने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

प्रतिबन्धः-

1-विद्यालय में किसी प्रकार की अवैधानिक कक्षाएं संचालित नही की जाय।
2-विद्यालय में केवल प्रशिक्षित एंव निर्धारित अर्हता रखने वाले अनुमोदित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया हो, मान्य होंगें।
3-विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यकम ही पढाया जाय।
4-विद्यालय में विभागीय नियमों/आदेशों/ निर्देशों एंव बेसिक शिक्षा संहिता आदि में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
5-विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान, महंगाई भत्ता आदि का भुगतान किया जाय जो परिषद के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रप्त हो रहे है।इनका भुगतान चेक द्वारा बैंक में खाताा खोलकर बैंक कें माध्यम से उनके खातें में अन्तरण द्वारा किया जाय। उल्लधन की दशा में तत्काल मान्यता समाप्त कर दी जाएंगी।
6-विद्यालय में विज्ञान अध्यापक/अध्यापिका की नियुक्ति यदि नही की गई हो तो तत्काल नियुक्ति करके इस कार्यालय को अवगत करायें।
7-कीडा क्षेत्र एंव प्रागण को चारो ओर से समतल कराया जाय तथा चारों ओर वृक्षारोपण कराया जाय।
8-विद्यालय के छात्र/छात्राओं से निर्धारित शुल्क ही लिया जाय। समस्त शुल्कों का बैंक/पोस्ट आंफिस में खाता खोलकर पासबुक तथा पंजिकाएं सदैव विद्यालय में सुरक्षित रखी जाय, जिससे विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी देखा जा सकें।
9-भवन में जिन कक्षों की छत लिन्टर नही है उन्हें यथाशीध्र पक्की छत में परिवर्तन कराया जाय।
10-शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति में अद्यतन शासनदेश के तहत आरक्षण कोटे का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाय।

भवदीय

03-07-2007

(बृजभूषण मौर्य)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद

पृष्ठांकन संख्या शि0स0/ /2007-08 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3-संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद/देवीपाटन मण्डल।
4-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
5-जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
6-रजिस्ट्रार चिट एंव फण्ड रीडगंज, फैजाबाद।
7-वित एंव लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) अम्बेडकरनगर।
8-उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकरनगर।
9-सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ,सम्बन्धित क्षेत्र।
10- संबधित समिति को।
11-कार्यालय पत्रावली हेतु।

(बृजभूषण मौर्य)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक
बी0एस0एस0एजूकेशनल एकाडमी बरवाँ बेरमपुर फैजाबाद रोड अकबरपुर
जनपद-अम्बेडकरनगर।

पत्रांक/ मा0प्रा0अस्था0/ /2002-2003 दिनांक- 11-07-02

विषय:- प्राथमिक स्तर का नवीन अस्थायी मान्यता आदेश।

महोदय,

उक्त विषयक आपके आवेदन पत्र पर सहायक बेसिक शिक्षाअधिकारी की आख्या एवं संस्तुति उपरान्त आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता इस प्रतिबन्ध के अधीन दी जाती है कि प्रदत्त मान्यता 5 वर्षों के अन्दर स्थायी मान्यता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में मान्यता समाप्त मानी जायेगी। साथ निम्न प्रतिबन्ध भी लागू रहेगा।

1- किसी अध्यापक की नियुक्ति/सेवा समाप्त बिना इस कार्यालय के पूर्वानुमोदन के विधि मान्य नही होगी।

2- अप्रशिक्षित अध्यापक विभाग द्वारा मान्य नही है अत: उक्त क्रम में प्रशिक्षित अध्यापक की व्यवस्था किया जाय।

3- विद्यालय के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क ही वसूल किया जाय।

4- विभागीय नियमों का पालन करना आवश्यक है, नियमों की अवहेलना करने पर प्रदत्त मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

5- शिक्षा कक्ष के लिए पर्याप्त कमरों की व्यवस्था किया जाय।

भवदीय

श्रीमती (सावित्री देवी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

पृष्ठांकन संख्या/मा0प्रा0अस्था0/1900-1903/2002-2003 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- उप सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अकबरपुर अम्बेडकरनगर।

2- जिला समाज कल्याण अधिकारी /अल्पसंख्यक अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

3- कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

11-07-2002

श्रीमती (सावित्री देवी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी